# विधान सभा प्रश्न

| | | |
|---|---|---|
| विभाग का नामः | : | कृषि |
| अतारांकित प्रश्न संख्या | : | 1868 |
| उत्तर की तिथि | : | 25.02.2022 |
| विषय | : | सब्जी मंडी का निर्माण। |
| प्रश्नकर्ता का नाम | : | श्री इन्द्र सिंह (बल्ह) |
| सम्बन्धित मन्त्री | : | ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री |

| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि बल्ह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत केहडी (नागचला) में सब्जी मंडी का निर्माण कार्य प्रस्तावित है; इसके लिए कितनी धनराशि का प्रावधान है; इसका निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जाएगा व इसकी क्या औपचारिकताएं शेष हैं; ब्यौरा दें? | सूचना सभा पटल पर रख दी गई है। |

श्री इन्द्र सिंह (बल्ह) द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं0 1868 से सम्बन्धित सूचना :–

जी हाँ। वन भूमि खसरा न0 314/3, रक्वा 19–00–18 बीघा, मुहाल जरलू/227 तहसील बल्ह (Gair Mumkin Khad) पर उप सब्जी मण्डी का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रायोजन हेतु वर्ष 2021–22 में मु0 05.00 लाख रू0 का टोकन प्रावधान स्वीकृत है। निर्माण कार्य, निम्नलिखित औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त ही आरम्भ किया जाना सम्भव हैः

1. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत उपरोक्त भूमि परिवर्तित करने के लिए दूसरे चरण की स्वीकृति भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला द्वारा दिनांक 25.01.2022 को जारी कर दी गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अंतिम स्वीकृति प्राप्त की जानी शेष है;
2. निर्माण से सम्बन्धित डिजाईनिंग–प्लानिंग करवाने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति की जानी है;
3. हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जानी है; तथा
4. निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित करने की प्रकिया पूरी करना इत्यादि शेष है।